आदेश ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण
प्रकरण संख्या : 06 / 2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

मालवीय अरबन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सहकार भवन, बाईस गोदाम, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती प्रभा सक्सैना (मृतक) पत्नी श्री मदन मोहन सक्सैना, श्री अनुराग सक्सैना, श्री अश्वनी सक्सैना पुत्रान श्री मदन मोहन सक्सैना,

पताः– बी–1201 एवं 1205, 12th फ्लोर, टॉवर बी, दि कोरोनेशन प्लॉट नं. सी–1, बुद्धसिंहपुरा, सांगानेर, जयपुर।

अन्य पताः– प्रभा फिलिंग स्टेशन, खसरा संख्या 6 / 29, ग्राम आंधी, जमवारामगढ, जयपुर।

2. स्वर्गीय श्री मोहन सक्सैना पुत्र श्री हरी मोहन सक्सैना जरिये विधिक वारिसान श्रीमती सुषमा सक्सैना पत्नी स्व. श्री मोहन सक्सैना,

पता :– 919, शांति नगर, टोंक रोड, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :– 1. श्री राजकुमार यादव, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।
2. श्री लोकेश शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित।

आदेश   दिनांक : 25.11.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 07.03.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती प्रभा सक्सेना जरिये विधिक वारिसान के स्वामित्व की वाणिज्यिक संपरिवर्तित संपत्ति प्रभा फिलिंग स्टेशन, खसरा संख्या 6 / 29 स्थित ग्राम आंधी, जयपुर, क्षेत्रफल 2721.36 वर्गमीटर को बन्धक रख कर कुल राशि 75,00,000 / –रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 16.09.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से वकील श्री लोकेश शर्मा उपस्थित है।
3. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. अप्रार्थीगण द्वारा उठाई गई आपत्तियों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणो को कुल राशि 75,00,000 / –रूपये का

Scanned with OKEN Scanner

ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 01,21,20,461/–रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 16.09.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती प्रभा सक्सेना जरिये विधिक वारिसान के स्वामित्व की बंधक वाणिज्यिक संपरिवर्तित संपत्ति प्रभा फिलिंग स्टेशन, खसरा संख्या 6/29 स्थित ग्राम आंधी, जयपुर, क्षेत्रफल 2721.36 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक 25.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)